न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री [illegible] आरएएस

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
56/2017/प्रार्थना पत्र	01.05.2017	16.05.2017

उनवान

1– प्रहलादपुरी पिता गोकलपुरी गुंसाई निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकलां
2– मेवा पिता गोकलपुरी गुंसाई निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकलां

– प्रार्थीगण

बनाम

1– छीतरपुरी पिता विजयपुरी गुंसाई निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकलां
2–4 लालपुरी, मुकन्दपुरी, सज्जनपुरी पिता शंकरपुरी गुंसाई निवासी बावड़ी
5– राजू पिता पन्ना गुर्जर निवासी बावड़ी तह0 फूलियाकलां
6– गलकू पत्नि पन्ना गुर्जर निवासी बावड़ी तह0 फूलियाकलां
7– हाथी पिता धन्ना गुर्जर निवासी बावड़ी तह0 फूलियाकलां
8– सन्तोकपुरी पिता सुखदेवपुरी गुंसाई निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकलां
9–11 चान्दपुरी, जयसिंहपुरी, ओमपुरी पिता भूरपुरी गुंसाई निवासी बावड़ी
12– शम्भुपुरी पिता हमीरपुरी गुंसाई निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकलां
13– भागुतापुरी पिता घीसापुरी गुंसाई निवासी बावड़ी तहसील फूलियाकलां

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम बावड़ी पटवार हल्का ईटड़िया तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 106 आ0न0 720 रकबा 0.28 है0, आ0न0 733 रकबा 0.23 है0, आ0न0 734 रकबा 0.66 है0, आ0न0 739 रकबा 0.35 है0, आ0न0 740 रकबा 0.36 है0, आ0न0 777 रकबा 0.47 है0, आ0न0 785 रकबा 0.01 है0, आ0न0 1355/1166 रकबा 0.16 है0 कुल किता 08 रकबा 2.52 है0 स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीत की सीमाओं के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर राजस्व लोक अदालत –: न्याय आपके द्वार– 2017 केम्प अटल सेवा केन्द्र ईटड़िया पर रखा जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 16.05.2017 को विपक्षीगण 12 के विरूद्व अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कार्यवाही नही चाही गई है जिससे उनके [illegible]

सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम बावड़ी पटवार मण्डल ईटड़िया संवत 2071 से 74 खाता संख्या 106 आ0न0 720 रकबा 0.28 है0, आ0न0 733 रकबा 0.23 है0, आ0न0 734 रकबा 0.66 है0, आ0न0 739 रकबा 0.35 है0, आ0न0 740 रकबा 0.36 है0, आ0न0 777 रकबा 0.47 है0, आ0न0 785 रकबा 0.01 है0, आ0न0 1355/1166 रकबा 0.16 है0 कुल किता 08 रकबा 2.52 है0 प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बावड़ी पटवार मण्डल ईटड़िया संवत 2071 से 74 खाता संख्या 106 आ0न0 720 रकबा 0.28 है0, आ0न0 733 रकबा 0.23 है0, आ0न0 734 रकबा 0.66 है0, आ0न0 739 रकबा 0.35 है0, आ0न0 740 रकबा 0.36 है0, आ0न0 777 रकबा 0.47 है0, आ0न0 785 रकबा 0.01 है0, आ0न0 1355/1166 रकबा 0.16 है0 कुल किता 08 रकबा 2.52 है0 प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 1000/- (अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 16.05.2017 को केम्प ईटड़िया सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर